

राजस्थान सरकार
स्कूल शिक्षा विभाग

क्रमांक प. 15(1) प्राशि / 2017

जयपुर, दिनांक: 11 APR 2017

- आयुक्त एवं शासन सचिव, पंचायती राज विभाग।
- आयुक्त, राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद्, जयपुर।
- निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।
- निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।

विषय :— पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी (PEEO) के कर्तव्य एवं दायित्व के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश।

प्रारम्भिक शिक्षा के उन्नयन, गुणवत्तापूर्ण व उत्कृष्ट शिक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ग्राम पंचायत स्तर में स्थित राजकीय विद्यालयों के प्रभावी पर्यावरण एवं प्रबंधन हेतु राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम-259 के उप-नियम(५) के तहत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा आज्ञा क्रमांक प. 15(1)प्राशि/संस्थापन/2017 दिनांक 28.01.2017 से राज्य की समस्त 9894 ग्राम पंचायतों हेतु चिह्नित “राजकीय माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों को (सामान्यतः ग्राम पंचायत का आदर्श विद्यालय) पंचायत रिसोर्स सेन्टर (PRC) एवं “संबंधित संस्थाप्रधान को ग्राम पंचायत का पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी (PEEO)” नामित किया गया है। इसी आदेश के द्वारा पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी (PEEO) के कर्तव्य एवं दायित्व का भी निर्धारण किया गया है।

राज्य सरकार की आज्ञा क्रमांक प.15(1)प्राशि/संस्थापन/2017 दिनांक 07.02.2017 द्वारा पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी (PEEO) एवं उनसे सम्बद्ध विद्यालय को सर्व शिक्षा अभियान हेतु जारी कार्यान्वयन के कार्यतंत्र (Frame Work) अनुसार क्रमशः संकुल केन्द्र प्रभारी (CRCF) एवं संकुल संदर्भ केन्द्र (CRC) घोषित किया गया है।

ग्राम पंचायत के पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी (PEEO) का मुख्य दायित्व ग्राम पंचायत क्षेत्र में स्थित प्रारम्भिक शिक्षा के प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों को प्रशासनिक एवं अकादमिक नेतृत्व एवं सम्बलन प्रदान करना है। उनसे संबद्ध विद्यालय को ग्राम पंचायत के

प्राथमिक / उप्रावि हेतु संदर्भ केंद्र (Resource Center) एवं मार्गदर्शी (Mentor) विद्यालय के रूप में कार्य करना है।

इस क्रम में आयुक्त, राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद, जयपुर के आदेश क्रमांक 15211 दिनांक 23.02.2017 के द्वारा सभी पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारियों को प्रारम्भिक गतिविधियों हेतु निर्देश जारी किये गये हैं।

ग्रामीण क्षेत्र में प्रारंभिक शिक्षा की गुणवत्ता के उन्नयन एवं विद्यालयों में आधारभूत संरचनाओं / सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण हेतु पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी (PEEO) के कार्य सम्पादन के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश संलग्न कर लेख है कि रामरत संभागीय उपनिदेशकों, जिला शिक्षा अधिकारियों, ब्लॉक प्रारम्भिक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारियों एवं पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारियों को पालना हेतु निर्देश जारी करने का श्रम करें। पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी (PEEO) के कार्य सम्पादन के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश विभागीय वेबसाइट www.education.rajasthan.gov.in पर पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी शीर्षक के अन्तर्गत उपलब्ध है।

संलग्न— पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी (PEEO) के कार्य सम्पादन के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश

११/५/२०७
(नरेश पाज गंगबर
शासन सचिव

प्रतिलिपि :— निम्न को सूचनार्थ पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदया।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग।
3. विशिष्ट सहायक, माननीय राज्यमंत्री, शिक्षा एवं पंचायतीराज प्राशि, विभाग (स्वतंत्र प्रभार)
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार।
5. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग।
6. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग।
7. निजी सचिव, शासन सचिव, पंचायतीराज विभाग।
8. निदेशक, माध्यमिक / प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, वीकानेर।
9. आयुक्त राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद, जयपुर।
10. परियोजना निदेशक, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद, जयपुर।
11. जिला कलबटर्स, समस्त।
12. मुख्य कार्यकारी अधिकारी / अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त।
13. उपनिदेशक, प्रारम्भिक / माध्यमिक शिक्षा, समस्त।
14. जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक / माध्यमिक शिक्षा, समस्त।
15. विकास अधिकारी / ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी, रामरत ब्लॉक।
16. पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी, समस्त।
17. रक्षित पत्राबली।

११/५/१८
शासन उप सचिव

**पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा
अधिकारी (PEEO) के कार्य सम्पादन हेतु
दिशा निर्देश**

1.0 प्रस्तावना

- 1.1 राज्य सरकार की आदर्श विद्यालय योजना के अन्तर्गत प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक राजकीय उच्च माध्यमिक / माध्यमिक (सामान्यतः कक्षा 1 से 12/10 के विद्यालय) को आदर्श विद्यालय के रूप में विकसित किया जा रहा है। इस योजना के अन्तर्गत राज्य की 9894 ग्राम पंचायतों में एक—एक विद्यालय को तीन चरणों में वर्ष 2017–18 तक आदर्श विद्यालय के रूप में विकसित किया जा रहा है। यह आदर्श विद्यालय ग्राम पंचायत के अन्य विद्यालयों के मार्गदर्शी (Mentor) एवं संदर्भ केन्द्र (Resource Center) के रूप में कार्य करेंगे।
- 1.2 राज्य की उत्कृष्ट योजनान्तर्गत प्रत्येक ग्राम पंचायत के आदर्श विद्यालय के मार्गदर्शन (Mentorship) में एक प्रारम्भिक शिक्षा के विद्यालय (सामान्यतः कक्षा 1 से 8 का विद्यालय) को उत्कृष्ट विद्यालय के रूप में विकसित किया जा रहा है। यह विद्यालय प्रारम्भिक शिक्षा के लिए **Center of Excellence** के रूप में विकसित होंगे।
- 1.3 राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम-259 के उप-नियम(9) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा आज्ञा क्रमांक प. 15(1)प्राशि / संरथापन / 2017 दिनांक 28.01.2017 से राज्य की समस्त 9894 ग्राम पंचायतों हेतु घोषित “राजकीय माध्यमिक / उच्च माध्यमिक विद्यालयों को (सामान्यतः ग्राम पंचायत का आदर्श विद्यालय) पंचायत रिसोर्स सेन्टर (PRC) एवं “संबंधित संरथाप्रधान को ग्राम पंचायत का पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी (PEEO)” नामित किया गया है। इसी आदेश के द्वारा पदेन पंचायत

प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी (PEEO) के कर्तव्य एवं दायित्व का भी निर्धारण किया गया है (परिशिष्ट -1)।

- 1.4 राज्य सरकार की आज्ञा क्रमांक प.15(1)प्राशि/संस्थापन/2017 दिनांक 07.02.2017 द्वारा पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी (PEEO) एवं उनसे सम्बद्ध विद्यालय को सर्व शिक्षा अभियान हेतु जारी कार्यान्वयन के कार्यतंत्र (Frame Work) अनुसार क्रमशः संकुल केन्द्र प्रभारी (CRCF) एवं संकुल संदर्भ केन्द्र (CRC) घोषित किया गया है (परिशिष्ट-2)।
- 1.5 ग्राम पंचायत के पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी (PEEO) का मुख्य दायित्व ग्राम पंचायत क्षेत्र में स्थित प्रारम्भिक शिक्षा के प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों को प्रशासनिक एवं अकादमिक नेतृत्व एवं सम्बलन प्रदान करना है। उनसे संबद्ध विद्यालय को ग्राम पंचायत के प्राथमिक/उप्रावि हेतु संदर्भ केन्द्र (Resource Center) एवं मार्गदर्शी (Mentor) विद्यालय के रूप में कार्य करना है।
- 1.6 आयुक्त, राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद, जयपुर के आदेश क्रमांक 15211 दिनांक 23.02.2017 के द्वारा सभी पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारियों को प्रारम्भिक गतिविधियों हेतु निर्देश जारी किये गये है (परिशिष्ट-3)। ग्रामीण क्षेत्र में प्रारम्भिक शिक्षा की गुणवत्ता के उन्नयन हेतु पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी (PEEO) के कार्य सम्पादन हेतु विस्तृत दिशा-निर्देश निनानुसार जारी किये जा रहे हैं।

2.0 ग्राम पंचायत क्षेत्र में स्थित प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों का पर्यवेक्षण एवं निगरानी (Supervision & Monitoring)

2.1 विद्यालय अवलोकन

- 2.1.1 उत्कृष्ट विद्यालय योजना की मार्गदर्शिका के अनुसार पंचायत के उत्कृष्ट विद्यालय का गाह में कम से कम एक बार एवं शेष राजकीय

६८

प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों का दो माह में कम से कम एक बार अवलोकन किया जावेगा। अवलोकन के दौरान कक्षागत शैक्षणिक स्तर एवं गुणवत्ता की जॉच कर अकादमिक सम्बलन प्रदान किया जावेगा।

- 2.1.2 विद्यालय अवलोकन हेतु विस्तृत दिशा—निर्देश आयुक्त, राजरथान प्रारंभिक शिक्षा परिषद् एवं निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा द्वारा जारी किये जावेगे।
- 2.1.3 पदेन पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र में विद्यालय अवलोकन का प्रतिवेदन शाला दर्शन पोर्टल पर अपलोड कराया जावेगा।
- 2.1.4 सम्बन्धित ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी एवं ब्लॉक रत्तर पर कार्यरत अतिरिक्त ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी एवं रांदर्भ व्यक्ति इत्यादि द्वारा पंचायत रामिति क्षेत्र के समस्त विद्यालयों का अवलोकन वर्तमान में प्रचलित दिशा—निर्देशों के अनुसार निर्धारित मापदण्डानुसार किया जावेगा। इन अधिकारियों द्वारा विद्यालय अवलोकन हेतु पदेन पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी को आवित विद्यालयों के अतिरिक्त विद्यालयों पर विशेष ध्यान दिया जावेगा।

2.2 संस्था प्रधानों की समीक्षा बैठक

- 2.2.1 ग्राम पंचायत क्षेत्र के समस्त राजकीय प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों के संरथा प्रधानों की प्रत्येक माह के अंतिम कार्य दिवस पर बैठक का आयोजन पदेन पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी की अध्यक्षता में उनसे सम्बद्ध विद्यालय में अनिवार्यतः किया जावेगा।
- 2.2.2 मासिक बैठक में विद्यालयवार विकास योजना, S.I.Q.E. कार्यक्रम तथा राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की समीक्षा की जावेगी। इसके अतिरिक्त संस्था प्रधानों द्वारा विद्यालय के रांचालन में आ रही कठिनाईयों का निराकरण भी किया जावेगा।

2.2.3 संरथा प्रधानों की मासिक बैठक के आयोजन के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा-निर्देश आयुक्त, राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद एवं निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा द्वारा जारी किये जावेंगे।

2.2.4 संरथा प्रधानों की मासिक बैठक का कार्यवाही विवरण आयुक्त, राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद एवं निदेशक प्रारंभिक शिक्षा द्वारा निर्धारित किये गये प्रपत्र में पदेन पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी द्वारा शाला दर्शन पोर्टल पर अपलोड किया जावेगा।

2.3 एस.आई.क्यू.ई. (S.I.Q.E.) कार्यक्रम का प्रभावी कियान्वयन

2.3.1 कक्षा 1 से 5 में शिक्षा की गुणवत्ता के उन्नयन हेतु संचालित एस.आई.क्यू.ई. (S.I.Q.E.) कार्यक्रम के कियान्वयन हेतु पदेन पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी से सम्बद्ध विद्यालय, ग्राम पंचायत के समस्त राजकीय प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिए संदर्भ केन्द्र के रूप में कार्य करेगा।

2.3.2 पदेन पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी ग्राम पंचायत के समस्त राजकीय प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों में एस.आई.क्यू.ई. (S.I.Q.E.) कार्यक्रम का कियान्वयन जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप सुनिश्चित करावेगा।

3.0 ग्राम पंचायत की प्रारंभिक शिक्षा की योजना का निर्माण एवं कियान्वयन

3.1 प्रत्येक वर्ष ग्राम पंचायत क्षेत्र के विद्यालय में प्रवेश योग्य 6-14 वर्ष आयु वर्ग के बालक-बालिकाओं का विनिहिकरण का कार्य पंचायत क्षेत्र के प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों के माध्यम से करवाया जाकर विद्यालय में नामांकित कराया जाना सुनिश्चित करेंगे।

3.2 ग्राम पंचायत क्षेत्र में स्थित राजकीय प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों में आधारभूत संरचनाओं/सुविधाओं की कमी का आकलन कर सम्बन्धित ग्राम पंचायत को पूर्ति हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।

3.3 राजकीय विद्यालयों को आवंटित नामांकन वृद्धि के लक्ष्यों के अनुसार उपलब्धि सुनिश्चित करने हेतु विद्यालयवार कार्य योजना का निर्माण व कियान्वयन सम्बन्धित विद्यालय से सुनिश्चित करावेंगे।

3.4 राजकीय विद्यालयों के विकास हेतु भामाशाहों/दानदाताओं/जनप्रतिनिधि गण से सहयोग प्राप्त करने का प्रयास करेंगे।

4.0 ग्राम पंचायत से समन्वयन

4.1 ग्राम पंचायत की मासिक बैठकों में उपरिधित होकर ग्राम पंचायत में स्थित पंचायती राज के अधीन संचालित समस्त राजकीय प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों की शिक्षण व्यवस्था एवं अन्य गतिविधियों की प्रगति के सम्बन्ध में अवगत करावेंगे।

4.2 ग्राम पंचायत क्षेत्र के 6–14 वर्ष आयु वर्ग के बालक-बालिकाओं को विद्यालय में नामांकित कराने एवं ठहराव सुनिश्चित कराने में ग्राम पंचायत का सहयोग प्राप्त करेंगे।

4.3 ग्राम पंचायत क्षेत्र के राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के विकास हेतु ग्राम पंचायत द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं यथा— राज्य वित्त आयोग (SFC), चौदहवां वित्त आयोग (FFC) तथा मनरेगा इत्यादि से राशि स्वीकृत करवाने हेतु प्रयास करेंगे। (परिशिष्ट-4)

5.0 विद्यालय प्रबंधन समिति (SMC) से समन्वयन एवं शिकायतों का निराकरण

5.1 ग्राम पंचायत क्षेत्र में स्थित राजकीय प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों की विद्यालय प्रबंधन समिति (SMC) एवं अभिभावक-अध्यापक परिषद्

(PTA) की नियमित बैठकें आयोजित कराया जाना सुनिश्चित करेंगे एवं विद्यालय प्रबंधन समिति (SMC) के अध्यक्ष तथा सदस्यों से निरन्तर सम्पर्क में रहेंगे।

5.2 विद्यालय प्रबंधन समिति (SMC) के अध्यक्ष/सदस्यगण तथा अभिभावकों से प्राप्त शिकायतों को पंजिका में दर्ज कर निस्तारण सुनिश्चित करेंगे।

6.0 ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी से समन्वयन एवं ब्लॉक रत्तीय बैठक

6.1 उपखण्ड अधिकारी की अध्यक्षता में आदर्श/उत्कृष्ट विद्यालयों के विकास हेतु प्रत्येक माह आयोजित होने वाली ब्लॉक रत्तीय समीक्षा बैठक में उपस्थित होकर अपने पंचायत क्षेत्र के समरत प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। इस बैठक को आयोजित करने का उत्तरदायित्व ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी का होगा।

6.2 शैक्षणिक गतिविधियों के प्रभावी संचालन एवं कियान्वयन हेतु ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी से समन्वय करेंगे।

6.3 ग्राम पंचायत की राजकीय प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों के विकास कार्यों हेतु आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु तैयार प्रस्तावों को ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी के माध्यम से विकास अधिकारी/ जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा को स्वीकृति हेतु भिजवाने की कार्यवाही करेंगे।

6.4 शाला दर्शन पोर्टल एवं विभागीय अन्य पोर्टल की प्रविष्टियों को अद्यतन करने में सम्बन्धित ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय को सहयोग करेंगे।

7.0 सर्व शिक्षा अभियान के तहत संकुल संदर्भ केन्द्र प्रभारी (सीआरसीएफ) का कार्य

६,८५

- 7.1 आयुक्त, राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद द्वारा संकुल संदर्भ केन्द्र प्रभारी (सीआरसीएफ) कार्य के सम्बन्ध में जारी दिशा-निर्देशों की पालना सुनिश्चित करेंगे।
- 7.2 आयुक्त, राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद द्वारा रार्व शिक्षा अभियान के प्रावधानों के अनुसार बजट राशि का आवंटन पदेन पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी को किया जावेगा।

8.0 संस्थापन सम्बन्धित कार्य

- 8.1 ग्राम पंचायत क्षेत्र में स्थित राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के संरक्षा प्रधानों एवं शिक्षकों के आकर्षित अवकाश के सम्बन्ध में व्यवस्था निम्नानुसार होगी—

कार्मिक का पदनाम	आकर्षित अवकाश स्वीकृतकर्ता अधिकारी
प्राथमिक विद्यालयों के समस्त शिक्षक एवं अन्य मय समेकित मानदेय पर कार्यरत शैक्षणिक कार्मिक	पदेन पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी
उच्च प्राथमिक विद्यालय के संरक्षा प्रधान (द्वितीय श्रेणी अध्यापक)	पदेन पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी
उच्च प्राथमिक विद्यालयों के समस्त शिक्षक एवं अन्य कार्मिक मय समेकित मानदेय पर कार्यरत शैक्षणिक कार्मिक	सम्बन्धित उच्च प्राथमिक विद्यालय का संरक्षा प्रधान

- 8.2 ब्लॉक प्रारिष्मक शिक्षा अधिकारी के कार्यक्षेत्र के बिन्दु संख्या 8.1 पर वर्णित विद्यालयों के अतिरिक्त राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के संस्थाप्रधान एवं कार्मिकों के आकर्षित अवकाश की व्यवस्था निम्नानुसार होगी –

कार्मिक का पदनाम	आकस्मिक अवकाश स्वीकृतकर्ता अधिकारी
प्राथमिक विद्यालयों के समरत शिक्षक मय समेकित मानदेय पर कार्यरत शैक्षणिक कार्मिक	ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी
उच्च प्राथमिक विद्यालय के संस्था प्रधान (द्वितीय श्रेणी अध्यापक)	ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी
उच्च प्राथमिक विद्यालयों के समरत शिक्षक मय समेकित मानदेय पर कार्यरत शैक्षणिक कार्मिक	सम्बन्धित उच्च प्राथमिक विद्यालय का संस्था प्रधान

- 8.3 ग्राम पंचायत क्षेत्र में स्थित राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के संस्था प्रधानों एवं शिक्षकों के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन की व्यवस्था निम्नानुसार होगी—

कार्मिक का पदनाम	प्रतिवेदक अधिकारी	समीक्षक अधिकारी	स्वीकृति अधिकारी
प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के समरत शिक्षक	PEEO	DEO(Ele)	DEO(Ele)
उच्च प्राथमिक विद्यालय के संस्था प्रधान (वरिष्ठ अध्यापक)	PEEO	DEO(Ele)	DD (Ele.)

- 8.4 सम्बन्धित ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी द्वारा समरत शिक्षकों/संस्था प्रधानों के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन में पृथक से टिप्पणी निर्धारित स्थान पर की जावेगी। निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा एवं आयुक्त, राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद द्वारा पृथक से वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन हेतु प्रपत्र तैयार कर सक्षम रूप से जारी कराया जावेगा।

8.5 ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी के कार्यक्षेत्र के बिन्दु संख्या 8.3 पर वर्णित के अतिरिक्त राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के संस्थापना/शिक्षकों के वार्षिक कार्यमूल्यांकन प्रतिवेदन की व्यवस्था निम्नानुसार होगी –

कार्मिक का पदनाम	प्रतिवेदक अधिकारी	समीक्षक अधिकारी	रवीकृति अधिकारी
प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के समस्त शिक्षक	BEEO	DEO(Ele)	DEO(Ele)
उच्च प्राथमिक विद्यालय के संस्था प्रधान (वरिष्ठ अध्यापक)	BEEO	DEO(Ele)	DD (Ele.)

8.6 ग्राम पंचायत क्षेत्र के राजकीय प्राथमिक/उच्च प्राथमिक शिक्षक/संस्था प्रधानों की शिकायतों की प्राथमिक जांच का कार्य सम्बन्धित पदेन पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी द्वारा किया जावेगा।

8.7 ग्राम पंचायत क्षेत्र के राजकीय प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों/संस्था प्रधानों के आहरण-वितरण अधिकार व सेवा अभिलेख पंजिका के संधारण एवं अन्य सम्बन्धित संस्थापन कार्य का सम्पादन सम्बन्धित पदेन पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी को दिये जाने के सम्बन्ध में आदेश वित्त विभाग से सहमति प्राप्त कर पृथक से जारी किये जावेगे। इन आदेशों के जारी होने तक आहरण-वितरण, सेवा अभिलेख पंजिका के संधारण एवं अन्य सम्बन्धित संस्थापन कार्य का सम्पादन सम्बन्धित पदेन पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी द्वारा उपस्थिति प्रमाणीकरण के आधार पर सम्बन्धित ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी द्वारा यथावत किया जावेगा।

- 8.8 ग्राम पंचायत क्षेत्र के राजकीय प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के विरुद्ध 17 सीसीए के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही संबंधी अधिकार दिये जाने के सम्बन्ध में पृथक से आदेश प्रसारित किये जावेंगे। इन आदेशों के प्रसारित होने तक इस संबंध में पूर्व में जारी निर्देश यथावत प्रभावी रहेंगे।
- 9.0 राज्य सरकार, आयुक्त, राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद्, निदेशक प्रारंभिक शिक्षा, उप निदेशक, जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक एवं जिला परियोजना समन्वयक, सर्व शिक्षा अभियान द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों की पालना सुनिश्चित करना।
- 10.0 आयुक्त, राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद्/ निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर उपरोक्त निर्देशों की पालना सुनिश्चित करने के लिए “पदेन पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी (PEEO)” के मासिक प्रतिवेदन का प्रारूप तैयार कर शाला दर्शन पोर्टल पर उपलब्ध करायेंगे एवं “पदेन पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी (PEEO)” मासिक प्रतिवेदन शाला दर्शन पोर्टल पर प्रत्येक माह की 10 तारीख तक अपलोड किया जाना सुनिश्चित करेंगे।
- 11.0 पदेन पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी द्वारा ग्राम पंचायत क्षेत्र में प्रारंभिक शिक्षा के विद्यालयों के नोडल अधिकारी के दायित्व सम्पादित किये जाने के फलस्वरूप प्रारंभिक शिक्षा विभाग में वर्तमान में संचालित नोडल प्रभारी/नोडल केन्द्र की व्यवस्था तुरन्त प्रभाव से समाप्त की जाती है।
- 12.0 ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी उनके कार्यक्षेत्र में प्रारंभिक शिक्षा के अन्य रामरस्त कार्य पूर्व की भाँति यथावत संपादित करते रहेंगे एवं ब्लॉक के कार्यक्षेत्र में प्रारंभिक शिक्षा के प्रभारी अधिकारी एवं सर्वशिक्षा अभियान के तहत ब्लॉक संदर्भ केन्द्र प्रभारी (बीआरसीएफ) के समस्त कार्य एवं दायित्व वर्तमान में प्रचलित दिशा-निर्देशों के अनुसार संपादित करेंगे।

२७६

राजस्थान सरकार
स्कूल शिक्षा विभाग

क्रमांक: प.15 (1)प्राशि / संस्थापन / 2017 /

जयपुर, दिनांक:

28 JAN 2017

—:: आज्ञा ::—

राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम-259 के उप-नियम(9) के तहत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा संलग्न परिशिष्ट के कॉलम संख्या 4 में वर्णित विद्यालय के संस्था प्रधान को कॉलम संख्या 3 में वर्णित ग्राम पंचायत का 'पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी' नामित किया जाता है। पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी का मुख्यालय/कार्यालय संबंधित विद्यालय होगा। संलग्न परिशिष्ट के कालम संख्या 4 में वर्णित विद्यालय कालम संख्या 3 में वर्णित ग्राम पंचायत में स्थित समस्त प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिये सर्व शिक्षा अभियान योजना के तहत पंचायत रिसोर्स सेन्टर (PRC) का कार्य करेगा। पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी के कर्तव्य एवं दायित्वों का निर्धारण निम्नानुसार किया जाता है:-

1. ग्राम पंचायत में संचालित पंचायती राज के अधीन समस्त प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों के निरीक्षण एवं प्रशासनिक तथा अकादमिक पर्यवेक्षण का कार्य।
2. ग्राम पंचायत क्षेत्र में संचालित पंचायती राज के अधीन समस्त प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों में प्रारंभिक शिक्षा गतिविधियों के प्रभावी पर्यवेक्षण हेतु संबंधित ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी एवं जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक से समन्वय करना।
3. ग्राम पंचायत में स्थित पंचायती राज के अधीन आने वाले समस्त प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों के विकास हेतु कार्य योजना तैयार करना।
4. राज्य सरकार, आयुक्त राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद्, निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा, उप निदेशक, जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक एवं जिला परियोजना समन्वयक सर्व शिक्षा अभियान द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों की पालना सुनिश्चित करना।
5. सर्व शिक्षा अभियान योजना के अन्तर्गत ग्राम पंचायत क्षेत्र में स्थित समस्त प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों हेतु पंचायत रिसोर्स सेन्टर फेसीलिटेटर (PRCF) को आवंटित समस्त कार्य।

6. ग्राम पंचायत की मासिक बैठकों में उपस्थित होकर ग्राम पंचायत में स्थित पंचायती राज के अधीन संचालित समरत प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों की शिक्षण व्यवस्था के संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना।

यह आज्ञा पंचायती राज विभाग की सहमति से जारी की जाती है।

संलग्न—परिशिष्ट

शासन सचिव 28/1/2017

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु—

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
3. विशिष्ट सहायक, राज्य मंत्री, शिक्षा एवं पंचायती राज प्रांशि० विभाग(स्वतंत्र प्रभार)।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव।
5. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
6. निजी सचिव, शासन सचिव, रकूल शिक्षा विभाग।
7. निजी सचिव, शासन सचिव, पंचायती राज विभाग।
8. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
9. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
10. परियोजना निदेशक, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद, जयपुर।
11. आयुक्त, राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद, जयपुर।
12. जिला कलेक्टर्स — समस्त।
13. मुख्य कार्यकारी अधिकारी/अतिऽ मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद —समस्त।
14. उप निदेशक प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा, समस्त।
15. जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा, समस्त।
16. विकास अधिकारी — समस्त।
17. आदेश पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव

2/1/2017

राजस्थान सरकार

स्कूल शिक्षा विभाग

क्रमांक प.15 (1)

/2017/

जयपुर / दिनांक ७.२.२०१७

—:: आज्ञा ::-

इस विभाग के सम संख्यक पत्रांक प.15 (1) प्राशि/संस्थापन/2017/जयपुर/दिनांक 28.01.2017 द्वारा जारी आज्ञा अनुसार राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 259 के उपनियम 9 के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए राज्य की 9894 ग्राम पंचायतों के लिए चिह्नित "माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों को पंचायत रिसोर्स सेन्टर (PRC)" एवं "सम्बन्धित संस्था प्रधान को पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी (PEEO)" नामित किया गया है।

उक्त वर्णित पंचायत रिसोर्स सेन्टर (PRC) एवं सम्बन्धित पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी (PEEO) को सर्व शिक्षा अभियान योजना हेतु जारी कार्यान्वयन के कार्यतंत्र (Frame Work) अनुसार क्रमशः संकुल संदर्भ केन्द्र (CRC) एवं संकुल केन्द्र प्रभारी (CRCF) घोषित किया जाता है।

उक्त प्रभारी अधिकारी (CRCF) उस पंचायत के समस्त विद्यालयों के प्रभारी अधिकारी के रूप में विद्यालयों का पर्यवेक्षण करेंगे एवं समस्त विद्यालयों के शैक्षणिक एवं प्रबन्धकीय गुणवत्ता विकास हेतु उत्तरदायी होंगे।

शासन सचिव १५/१

प्रतिलिपि :— निम्न को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग।
3. विशिष्ट सहायक, राज्य मंत्री, शिक्षा एवं पंचायतीराज प्राशि, विभाग (स्वतंत्र प्रभार)
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार।
5. निजी सचिव, सचिव, स्कूल शिक्षा, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नई दिल्ली।
6. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग।
7. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग।
8. निजी सचिव, शासन सचिव, पंचायतीराज विभाग।
9. निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
10. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
11. आयुक्त राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद्, जयपुर।
12. परियोजना निदेशक, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद्, जयपुर।
13. जिला कलकटर्स, समस्त।
14. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, समस्त।
15. गुणवत्ता प्रभारी, एडसिल, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नई दिल्ली।
16. उपनिदेशक, प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा, समस्त।
17. जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा, समस्त।
18. विकास अधिकारी, समस्त।
19. ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी, समस्त ब्लॉक।
20. संकुल संदर्भ केन्द्र प्रभारी (पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी), समस्त।
21. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव

८८८

राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद्

द्वितीय एवं तृतीय तल, ब्लॉक-५, शिक्षा संकुल परिसर,
जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर - 17

rajssaquality@gmail.com

Ph-2701596

क्रमांक : राप्राशिप/गुणवत्ता/फीईओ/2016-17 15-211

दिनांक : 23/2/17

- जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक, समस्त।
- ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी, समस्त।
- पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी, समस्त।

विषय:- पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी के दायित्वों का निर्वहन करने के क्रम में।

सन्दर्भ:-राजस्थान सरकार स्कूल शिक्षा विभाग के पत्र क्रमांक : प. 15 (1) प्रा.शि./
संस्थापन/ 2017/ जयपुर दिनांक 28 जनवरी, 2017 एवं 07 फरवरी, 2017
के सन्दर्भ में।


सन्दर्भित पत्र क्रमांक के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक ग्राम पंचायत में चिह्नित प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य को "पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी" (PEEO) के रूप में नामित किया गया है। इन पदने पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारियों को राजस्थान सरकार के पत्र दिनांक 07.02.2017 अनुसार सर्व शिक्षा अभियान योजना अन्तर्गत ग्राम पंचायत क्षेत्र में स्थित प्राथमिक/ उच्च प्राथमिक विद्यालय के लिए संकुल केन्द्र प्रभारी के रूप में भी कार्य करना है।

"पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी" दायित्व निर्वहन हेतु राज्य सरकार द्वारा विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किये जा रहे हैं। इन दिशा-निर्देशों की अनुपालना हेतु प्रत्येक "पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी" को पूर्व तैयारी स्वरूप निम्नांकित कार्य किये जाने हैं :-

- ग्राम पंचायत में स्थित समस्त राजकीय प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों के संस्थापनाओं के साथ परिचयात्मक बैठक कर प्रारम्भिक शिक्षा विभाग की समस्त गतिविधियों/कार्यों की जानकारी प्राप्त कर लें।
- ग्राम पंचायत में स्थित प्रत्येक राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय का अवलोकन (Visit) आवश्यक रूप से कर लें।

यौन

3. प्रारम्भिक शिक्षा विभाग में कार्यरत प्रधानाध्यापक एवं समरत शिक्षकों की एक बैठक कर उनका मार्ग-दर्शन करें तथा सूचनाओं के आदान-प्रदान एवं सतत सम्पर्क एवं समन्वयन हेतु वाट्सएप ग्रुप तैयार किया जा सकता है।
4. पंचायत के समस्त विद्यालयों के एसएमसी के सदस्यों से सम्पर्क कर विद्यालय की विकास योजनाओं पर चर्चा कर लेवें। एसएमसी के अध्यक्षों के मोबाइल नम्बर का संकलन कर स्वयं का मोबाइल नम्बर भी उनको उपलब्ध करा देवें, जिससे एसएमसी अध्यक्षों से पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी का सतत समन्वय एवं सम्पर्क बना रहे।
5. याम पंचायत के समरत विद्यालयों में प्रारम्भिक शिक्षा कक्षाओं (1 से 8) में शैक्षणिक कार्य करने वाले अध्यापकों का भी एक समूह बनाया जावे तथा आपके विद्यालय के एक अध्यापक को समूह का नेतृत्व करने हेतु ग्रुप लीडर नामित किया जावे। ग्रुप लीडर के माध्यम से इन अध्यापकों का वाट्सएप ग्रुप भी बनाया जा सकता है ताकि प्रारम्भिक शिक्षा में शैक्षणिक कार्य करने वाले अध्यापक एक-दूसरे से सतत समन्वय स्थापित कर अकादमिक सम्बल प्रदान कर सकें।
6. प्रारम्भिक शिक्षा विभाग के विद्यालयों हेतु शाला-दर्शन पोर्टल का लॉगिन आई.डी. व पासवर्ड आप सभी के ई-मेल आई.डी. पर भिजवाय जा रहा है। कृपया अपनी पंचायत क्षेत्र के समरत विद्यालयों की सूचनाओं तथा सम्बन्धित रिपोर्ट का भी अवलोकन कर लें।



(डॉ. जोगा राम)
आयुक्त

क्रमांक : राप्राशिप/गुणवत्ता/पीईईओ/2016-17 | 5212
प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ -

दिनांक : 23/2/17

1. निजी सचिव, शासन सचिव महोदय, स्कूल शिक्षा विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, आयुक्त महोदय, रा.प्रा.शि.प., जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक, रा.मा.शि.अ., जयपुर।
4. निजी सचिव, निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, बीकानेर।
5. निजी सचिव, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर।
6. निजी सचिव, एसआईआरटी, उदयपुर।
7. उपनिदेशक, प्रारम्भिक / माध्यमिक शिक्षा, समस्त सम्बाग।
8. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा समस्त जिले।
9. अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, एसएसए/रा.मा.शि.अ., समस्त जिले।
10. राज्यित पत्रावली।



(मुकुल शर्मा)
अतिरिक्त आयुक्त



राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद
द्वितीय एवं तृतीय तल, ब्लॉक 5, शिक्षा संकुल परिसर,
जगहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर

क्रमांक:- / 15868

जयपुर, दिनांक 08.03.2017

जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, समस्त
ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी, समस्त
पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी, समस्त

विषय:- प्रावि एवं उप्रावि के भौतिक संरचना के विकास हेतु ग्राम पंचायत द्वारा
संचालित विकास योजनाओं के माध्यम से करने बाबत।

प्रसंग:- राज्य सरकार के पत्र क्रमांक पं15(1) प्राशि / संरथापन / 2017 जयपुर
दिनांक 28.01.17 एवं राप्राशिप के पत्र क्रमांक राप्राशिप/
गुणवत्ता/पीईईओ/ 2016-17 / 15211 दिनांक 23.02.2017

राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक ग्राम पंचायत में चिन्हित विद्यालयों में
प्रधानाध्यापक/प्रधानावार्यों को पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी द्वारा नामित किया गया
है। पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी द्वारा ग्राम पंचायत क्षेत्र में स्थित समस्त प्राथमिक
एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों का पर्यवेक्षण किया जाना है। साथ ही इन विद्यालयों के विकास
हेतु ग्राम पंचायत से सहयोग प्राप्त करना सुनिश्चित किया जाना है।

अतः समस्त पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी ग्राम पंचायत क्षेत्र में स्थित समस्त
प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के विकास हेतु विद्यालय विकास योजनाओं का निर्माण
करना सुनिश्चित करायें। विद्यालय विकास योजना में भौतिक आधारभूत संरचनाओं की कमी का
विद्यालयवार आकलन कर ग्राम पंचायत के माध्यम से संचालित विभिन्न योजनाओं यथा State
finance commission -V grants (SFC), 14th finance Commission (FFC) General Basic Grant तथा
मनरेगा इत्यादि के माध्यम से राशि रखीकृत करावकर कमियों की पूर्ति की जावें। इसके

२८

28/3/2017

अतिरिक्त विद्यालय के विकास हेतु दानदाताओं एवं भागाशाहों का सहयोग भी लिया जा सकता है।

समस्त पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारीगण, ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षाधिकारीगण एवं जिला शिक्षा अधिकारीगण पंचायत समिति स्तर एवं जिला परिषद् स्तर से ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज विभाग की विकास योजनाओं के माध्यम से विद्यालय में आधारभूत संरचनाओं के विकास हेतु राशि स्वीकृत करवाने हेतु प्रयास करें।



(डॉ. जोगाराम)
आयुक्त

